

कार्यालय:- ज़िला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, टिहरी गढ़वाल  
आदेश सं०/प्रा०शि०-२/ २२० /स्थानान्तरण अधिनियम २०१७/२०१८-१९ दिनांक-२५ जून २०१८

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, २०१७ की धारा-१६(१) के अन्तर्गत जनपदस्तरीय गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम, २०१७ की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय के पदों पर कार्यरत निम्नांकित प्रधानाध्यापकों को तत्काल प्रभाव से सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत स्तम्भ-४ में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरण किया जाता है:-

क्र० सं०	प्रधानाध्यापक का नाम	वर्तमान विद्यालय का नाम	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१-	श्रीमती इन्दुमति झल्लियाल,	रा०प्रा०वि०, घिल्डियालगांव, कीर्तिनगर, टि०ग०	रा०प्रा०वि० जखेड़, देवप्रयाग, टि०ग०	रिक्त पद के प्रति
२-	श्री जगदम्बा प्रसाद,	रा०प्रा०वि०, मैखण्डी तल्ली, कीर्तिनगर टि०ग०	रा०प्रा०वि० पल्लीगाड़, कीर्तिनगर, टि०ग०	रिक्त पद के प्रति
३-	श्रीमती आशा नेगी,	रा०प्रा०वि०, चोपड़ियाली, चम्बा टि०ग०	रा०प्रा०वि०, सौड़उप्पू, थौलधार टि०ग०	रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, २०१७ की धारा-२२ में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

१. दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के उपरान्त एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
२. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
३. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-२४(१),(२) व (३) के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
४. स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के ०३ दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
५. स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा। उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(सुदर्शन सिंह बिष्ट)  
प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०),  
टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।

पू०सं०/ प्रा०शि०-२/ २१९९-५६/स्थानान्तरण अधिनियम २०१७/२०१८-१९ दिनांक- उक्तांकित।  
प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

- १- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- २- जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- ३- मुख्य विकास अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- ४- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- ५- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- ६- मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर।
- ७- वरिष्ठ-कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- ८- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ स्थानान्तरित शिक्षकों को स्थानान्तरण आदेश समयान्तर्गत उपलब्ध कराते हुये दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित शिक्षकों को कार्यमुक्त करवाना सुनिश्चित करें।
- ९- सम्बन्धित कार्मिक।
- १०- कार्यालय आदेश गार्ड फाईल।

(सुदर्शन सिंह बिष्ट)  
प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०),  
टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, टिहरी गढ़वाल  
 आदेश सं/प्रा0शि0-2/ 218 /स्थानान्तरण अधिनियम 2017/2018-19 दिनांक-25 जून 2018

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत जनपदस्तरीय गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय के पदों पर कार्यरत निम्नांकित प्रधानाध्यापकों को तत्काल प्रभाव से दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरण किया जाता है:-

क्र0 सं0	प्रधानाध्यापक का नाम	वर्तमान विद्यालय का नाम	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1-	श्री पूरण सिंह सजवाण,	रा0प्रा0वि0, देवताधार, जाखणीधार टि0ग0	रा0प्रा0वि0 गजा, चम्बा, टि0ग0	रिक्त पद के प्रति
2-	श्रीमती विजयलक्ष्मी कोटियाल	रा0प्रा0वि0 लवोईगांव, जाखणीधार टि0ग0	रा0प्रा0वि0 जागधार, जाखणीधार टि0ग0	रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

1. दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के उपरान्त एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24(1),(2) व (3) के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
5. स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा। उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(सुदर्शन सिंह बिष्ट)

प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0),  
 टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।

पृ0सं0 / प्रा0शि0-2/ 2931-29 /स्थानान्तरण अधिनियम 2017/2018-19 दिनांक- उक्तांकित।  
 प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- 4- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 5- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 6- मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर।
- 7- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- 8- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ स्थानान्तरित शिक्षकों को स्थानान्तरण आदेश समयान्तर्गत उपलब्ध कराते हुये दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित शिक्षकों को कार्यमुक्त करवाना सुनिश्चित करें।
- 9- सम्बन्धित कार्मिक।
- 10- कार्यालय आदेश गार्ड फाईल।

प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0),  
 टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।

**कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, टिहरी गढ़वाल**

आदेश सं०/प्रा०शि०-२/

२१९

/स्थानान्तरण अधिनियम 2017/2018-19

दिनांक-२५ जून 2018

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत जनपदस्तरीय गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय के पदों पर कार्यरत निम्नांकित प्रधानाध्यापकों को तत्काल प्रभाव से अनुरोध के आधार पर स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरण किया जाता है:-

क्र० सं०	प्रधानाध्यापक का नाम	वर्तमान विद्यालय का नाम	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1-	श्री वीरेन्द्र कुमार,	रा०प्रा०वि०, दिगोन, जौनपुर टि०ग०	रा०प्रा०वि० रामगांव, थौलधार टि०ग०	रिक्त पद के प्रति
2-	श्री वाचस्पति भट्ट,	रा०प्रा०वि० भिगुन, भिलंगना टि०ग०	रा०प्रा०वि० गुल्डी, चम्बा टि०ग०	रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के उपरान्त एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
- स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24(1)(2) व (3) के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
- स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा। उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(सुदर्शन सिंह बिष्ट)

प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०),  
टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।

दिनांक- उक्तांकित।

पृ०सं०/ प्रा०शि०-२/२१४०-४८

/स्थानान्तरण अधिनियम 2017/2018-19

प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- 4- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 5- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 6- मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर।
- 7- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- 8- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ स्थानान्तरित शिक्षकों को स्थानान्तरण आदेश समयान्तर्गत उपलब्ध कराते हुये दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित शिक्षकों को कार्यमुक्त करवाना सुनिश्चित करें।
- 9- सम्बन्धित कार्मिक।
- 10- कार्यालय आदेश गार्ड फाईल।

प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०),  
टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, टिहरी गढ़वाल  
आदेश सं०/प्रा०शि०-2/ 217 /स्थानान्तरण अधिनियम 2017/2018-19 दिनांक-25 जून 2018  
स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत जनपदस्तरीय गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय के पदों पर कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापकों को तत्काल प्रभाव से सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरण किया जाता है:-

क्र० सं०	सहायक अध्यापक का नाम	वर्तमान विद्यालय का नाम	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1-	श्रीमती प्रदीपकौर रावत	रा०प्रा०वि० मरोड़, जौनपुर टि०ग०	रा०प्रा०वि० पातालगढ़, जौनपुर टि०ग०	रिक्त पद के प्रति
2-	श्री विजय सिंह मेवाड़	रा०प्रा०वि० कणोली, कीर्तिनगर, टि०ग०	रा०प्रा०वि० तल्यामण्डल, कीर्तिनगर, टि०ग०	रिक्त पद के प्रति
3-	श्रीमती आमना खातून	रा०प्रा०वि० ग्वाड़ बुढोगी, चम्बा टि०ग०	रा०प्रा०वि० नागराजाधार चम्बा, टि०ग०	रिक्त पद के प्रति
4-	श्रीमती अजू सरांशी	रा०प्रा०वि० जाखलगा, ज्यूंदासू, थौलधार, टि०ग०	रा०प्रा०वि० पिपोलारगड़ा, जाखणीधार, टि०ग०	रिक्त पद के प्रति
5-	श्रीमती रजनी बाला बडोनी	रा०प्रा०वि० भटोली, जौनपुर, टि०ग०	रा०प्रा०वि० पाली, जौनपुर, टि०ग०	रिक्त पद के प्रति
6-	श्री मनमोहन मखलोगा	रा०प्रा०वि० पैन्चूला, चम्बा टि०ग०	रा०प्रा०वि० सेमवालगांव, थौलधार टि०ग०	रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

1. दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के उपरान्त एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24(1),(2) व (3) के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
5. स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा। उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(सुदर्शन सिंह बिष्ट)  
प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०),  
टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।  
दिनांक- उक्तांकित।

पृ०सं०/ प्रा०शि०-2/ 2922-30 /स्थानान्तरण अधिनियम 2017/2018-19 दिनांक- उक्तांकित।  
प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- 4- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 5- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 6- मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर।
- 7- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- 8- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ स्थानान्तरित शिक्षकों को स्थानान्तरण आदेश समयान्तर्गत उपलब्ध कराते हुये दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित शिक्षकों को कार्यमुक्त करवाना सुनिश्चित करें।
- 9- सम्बन्धित कार्मिक।
- 10- कार्यालय आदेश गार्ड फाईल।

(सुदर्शन सिंह बिष्ट)  
प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०),  
टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।

**कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, टिहरी गढ़वाल**

आदेश सं०/प्रा०शि०-2/ 221 /स्थानान्तरण अधिनियम 2017/2018-19 दिनांक-25 जून 2018

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत जनपदस्तरीय गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय के पदों पर कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापकों को तत्काल प्रभाव से दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरण किया जाता है:-

क० सं०	सहायक अध्यापक का नाम	वर्तमान विद्यालय का नाम	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1-	श्रीमती स्वर्णलता मेहता	रा०प्रा०वि० खड़गसारी, जौनपुर टि०ग०	रा०प्रा०वि० नैनगाँव, जौनपुर टि०ग०	रिक्त पद के प्रति
2-	श्रीमती रेनू राणा	रा०प्रा०वि० गोंठ, जौनपुर टि०ग०	रा०प्रा०वि० कुम्हारखेड़ा, नरेन्द्रनगर टि०ग०	रिक्त पद के प्रति
3-	श्री उत्तम चन्द कुमाँई	रा०प्रा०वि० माजरा (त्यालनी), देवप्रयाग टि०ग०	रा०प्रा०वि० डडुवा, देवप्रयाग टि०ग०	रिक्त पद के प्रति
4-	श्री कृष्णपाल	रा०प्रा०वि० दल्ला, भिलंगना टि०ग०	रा०प्रा०वि० कोटी फेंगुल, भिलंगना टि०ग०	रिक्त पद के प्रति
5-	श्री युद्धवीर सिंह चौहान	रा०प्रा०वि० बांसकाटल, नरेन्द्रनगर टि०ग०	रा०प्रा०वि० तल्ली बागी, नरेन्द्रनगर टि०ग०	रिक्त पद के प्रति
6-	श्री अनुसूया प्रसाद नौटियाल	रा०प्रा०वि० रुमधार, देवप्रयाग, टि०ग०	रा०प्रा०वि० जामणीखाल, देवप्रयाग, टि०ग०	रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के उपरान्त एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
- स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24(1),(2) व (3) के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
- स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा। उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(सुदर्शन सिंह बिष्ट)

प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०),  
टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।

पू०सं०/ प्रा०शि०-2/ 2957-64 /स्थानान्तरण अधिनियम 2017/2018-19 दिनांक- उक्तांकित।  
प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- 4- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 5- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 6- मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर।
- 7- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- 8- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ स्थानान्तरित शिक्षकों को स्थानान्तरण आदेश समयान्तर्गत उपलब्ध कराते हुये दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित शिक्षकों को कार्यमुक्त करवाना सुनिश्चित करें।
- 9- सम्बन्धित कार्मिक।
- 10- कार्यालय आदेश गार्ड फाईल।

प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०),  
टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।

**कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, टिहरी गढ़वाल**  
 आदेश सं०/प्रा०शि०-2/ 222 /स्थानान्तरण अधिनियम 2017/2018-19 दिनांक-25 जून 2018  
**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत जनपदस्तरीय गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय के पदों पर कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापकों को तत्काल प्रभाव से अनुरोध के आधार पर स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरण किया जाता है:-

क्र० सं०	सहायक अध्यापक का नाम	वर्तमान विद्यालय का नाम	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1-	श्री दिवाकर प्रसाद पाण्डेय	रा०प्रा०वि० कुवाखोली, देवप्रयाग, टि०ग०	रा०प्रा०वि० 14बीघा, नरेन्द्रनगर, टि०ग०	रिक्त पद के प्रति
2-	श्री साहब सिंह रावत	रा०प्रा०वि० टिकरी, जौनपुर, टि०ग०	रा०प्रा०वि० रौतू की बेली, जौनपुर, टि०ग०	रिक्त पद के प्रति
3-	श्रीमती गीता असवाल	रा०प्रा०वि० जिजली, चम्बा, टि०ग०	रा०प्रा०वि० काटल, नरेन्द्रनगर टि०ग०	रिक्त पद के प्रति
4-	श्रीमती पवनी देवी	रा०प्रा०वि० काण्डीखाल, चम्बा टि०ग०	रा०प्रा०वि० रानीचौरी, चम्बा, टि०ग०	रिक्त पद के प्रति
5-	श्री नियाज मोहम्मद	रा०प्रा०वि० खाण्डणू जौनपुर टि०ग०	रा०प्रा०वि० मवाणा जौनपुर टि०ग०	रिक्त पद के प्रति
6-	श्रीमती मीनाक्षी तोमर	रा०प्रा०वि० नकुर्वी, जौनपुर टि०ग०	रा०प्रा०वि० खेड़ा, जौनपुर टि०ग०	रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के उपरान्त एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
- स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24(1),(2) व (3) के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
- स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा। उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(सुदर्शन सिंह बिष्ट)  
 प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०),  
 टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।

पृ०सं०/ प्रा०शि०-2/2965-72 /स्थानान्तरण अधिनियम 2017/2018-19 दिनांक- उक्तांकित।  
 प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- 4- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 5- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 6- मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर।
- 7- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- 8- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ स्थानान्तरित शिक्षकों को स्थानान्तरण आदेश समयान्तर्गत उपलब्ध कराते हुये दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित शिक्षकों को कार्यमुक्त करवाना सुनिश्चित करें।
- 9- सम्बन्धित कार्मिक।
- 10- कार्यालय आदेश गार्ड फाईल।

(सुदर्शन सिंह बिष्ट)  
 प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०),  
 टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।